न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2022/93 (93/2022)

जसवीर सिह पुत्र,सुखदेव सिह जाति जटसिख साकिन मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। —अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार टिब्बी।
2. सरवन सिंह पुत्र जसमत सिंह
3. करनैल सिंह
4. मोहन सिंह — पुत्रगण नारायण सिंह — अकवाम जटसिख निवासीयान मसानी
5. जरनैल सिह
6. रूप सिंह — तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ
7. बिकर सिंह
8. गुरदेव सिह पुत्र लक्ष्मण सिह
9. गुरदास सिंह पुत्र. लक्ष्मण सिह
10. गुरमेल कौर पत्नी हरबंश सिंह
11. रणजीत सिह पुत्र हरबंश सिह
12. रूप सिह पुत्र फुमन सिंह
13. मलकीत सिह पुत्र सुखदेव सिह
14. जसवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 एलआरएक्ट आरटीएक्ट
विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.2016
द्वारा अपर जिला कलक्टर (जागीर) हनुमानगढ प्र. सं. 04/2011

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सरकार बनाम सरवन सिंह

श्री इन्द्राज गोदारा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

निर्णय दिनांक 28.09.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पत्रावली की आदेशिका दिनांक 19.11.1985 के अनुसार अप्रार्थीयान सरवन सिंह आदि के पास 15 जीजीआर प0 नं0 183/280 की 1.00 बीघा भूमि गैरदाखिलकार की कब्जा काश्त में है जिसे आज तक नियमानुसार आवंटन नहीं करवाया भू प्रबंध विभाग ने गलत खातेदारी प्राप्त करली है बाबत कार्यवाही प्रारम्भ की गई एव दिनांक 01.05.1986 के अनुसार उक्त भूमि को रकबा राज दर्ज करने व कब्जा तहसीलदार टिब्बी को लेने हेतु लिखा गया। कब्जा लेने की कार्यवाही लंबित रही एवं दिनांक 30.10.2000 को 1 बीघा भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार टिब्बी को लिखा जाने का आदेश दिया गया जिसकी अपील राजस्व अपल प्राधिकारी के समक्ष होने पर निर्णय दिनांक 05.09.2008 को पारित कर प्रकरण अपर जिला हनुमानगढ (जागीर) को रिमांड किया गया। अप्रार्थ सं0 5 व 6 जरिये अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित आये अपना जवाब पेश किया बहक बहक सरकार लेने की रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार टिब्बी प्रार्थीगण को उनकी खरीदशुदा भूमि 15 जीजीआर प0 नं0 183/280 किला नं. 5 से पूर्व में उक्त किला नं. 5 से बेदखल करने पर आमादा है जबकि उक्त किला नं0 5 की बाबत कोई आदेश किसी न्यायालय व अधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया हैं। वस्तुतः प्रार्थगण ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 01.02.03 रूप सिंह से उसकी चक 15 जीजीआर के प0 नं0 183/280 किला नं. 16, 17, 18 व 5, 6 कुल 1.265 है भूमि प्रतिफल सहित खरीद की है और इस भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक काबिज चला आ रहा है। यह भूमि प्रार्थीगण की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है तथा राजस्व अभिलेखों में भी प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हे। इसलिए तहसीलदार की रिपोर्ट व उस द्वारा भूमि को कब्जा बहक सरकार लेने की कार्यवाही स्थगित की जावे। विचारण न्यायालय ने रकबा राज के पूर्व के आदेश को

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

यथावत रखा जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ता 14 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने के कारण उन्हें तर्क किया गया।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। विवादित एक बीघा भूमि रूप सिह पुत्र फुमन सिह की बिश्वेदारी की खुद काश्त भूमि थी जो राजस्थान बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभावशील होने के बाद धारा 29 के तहत रूप सिह स्वतः खातेदार काश्तकार हो गया इसी आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग ने खातेदारी अंकित की है तथा तत्पश्चात् रूप सिह ने अपनी खातेदारी खातेदारी भूमि वाके चक 15 जीजीआर प0 नं0 183/280 किला नं. 5 व अन्य आराजीयात हम अपीलांट को जरिये बैयनामा दिनांक 01.02.2003 को कतई बैय कर मौका पर कब्जा सम्भला दिया। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि हम अपीलांट की खातेदारी भूमि है। अदालत मातहत ने महज तहसीलदार टिब्बी के बिना आधार के कथनों के आधार पर विवावदित भूमि को हम अपीलांटान की खतोदारी भूमि ना मानते हुए निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अपीलांट एक अनपढ ग्रामीण व्यक्ति है तथा अदालत मातहत में अपीलांट को उसके वकील साहब ने कहा कि जब कभी आपकी जरूरत लगी आपको बुला लिया जावेगा आपको हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपीलांट अपने वकील साहब से सम्पर्क नहीं कर सका तथा वकील साहब ने कोई सूचना नहीं दी। इसलिए निर्णय की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अपील पेशकर दी है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलांट स्वीार की जाावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रार्थीभगण अपने जवाब के अनुसार प्रश्नगत भूमि के खरीदार बताते हैं जबकि प्रश्गनत भूमि पूर्व में सरववन सिंह आदि के कब्जा काश्यत में होने व गैरदाखिलकार की भूमि होने से अपीलाण्ट को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वर्तमान रिकार्ड में किला नं. 5 रकबा राज दर्ज इसिलिए विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है विवादित एक बीघा भूमि रूप सिह पुत्र फुमन सिंह की बिश्वेदारी की खुद काश्त भूमि थी जो राजस्थान बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 के प्रभावशील होने के बाद धारा 29 के तहत रूप सिंह स्वतः खातेदार काश्तकार हो गया। इसी आधार पर भू–प्रबन्ध विभाग ने खातेदारी अंकित की है तथा तत्पश्चात् रूप सिह ने अपनी खातेदारी भूमि वाके चक 15 जीजीआर प0 नं0 183/280 किला नं. 5 व अन्य आराजीयात अपीलांट को जरिये बैयनामा दिनांक 01.02.2003 को बैय कर मौका पर कब्जा सम्भला दिया। इससे स्पष्ट है कि कि विवादित भूमि अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी भूमि है। वर्ष 1985 में सरवन सिंह आदि के कब्जा काश्त में थी परन्तु उसके बाद उनके द्वारा भूमि को आवंटन करवाने बाबत कोई आवेदन नहीं दिया है। अदालत मातहत ने विवादित भूमि को अपीलांट की खातेदारी भूमि ना मानते हुए निर्णय पारित किया है जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपर जिला कलक्टर जागीर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2016 खारिज किया जाता है। तहसीलदार टिब्बी अपने पूर्ण दस्तावेज के साथ कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.9.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/9/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)